बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या –17 आवंटन (चेक से भुगतान)–142/2015-28(आ०वं०)

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
बाँका।

पटना, दिनांक :– 12/01/2016

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से अद्यतन राजस्व मानचित्र तैयार करने के लिए विभाग द्वारा चयनित एजेंसी मेसर्स जी0आई0एस0 कंसोर्सियम, इंडिया प्रा0लि0, नोएडा, दिल्ली को एकरारनामा के आलोक में राशि के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि चेक के माध्यम से भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना The National Land Records Modernization Programme-NLRMP के अंतर्गत बाँका, नवादा, जमुई एवं पश्चिम चम्पारण(बेतिया) जिला के ग्रामीण क्षेत्र का आधुनिक तकनीक (हवाई फोटोग्राफी) से विशेष सर्वे मानचित्र तैयार करने के लिए निदेशालय द्वारा निविदा के माध्यम से मेसर्स जी0आई0एस0 कंसोर्सियम, इंडिया प्रा0लि0, नोएडा का चयन करते हुए दिनांक 04.01.2013 एवं 13.04.2015 को एकरारनामा कर लिया गया है।

एकरारनामा की प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। एकरारनामा की कंडिका – 36(1) के आलोक में संबंधित एजेंसी को परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान जिला समाहर्त्ता कार्यालय/बंदोबस्त कार्यालय के स्तर से अग्रिम के रूप में किया जाना है। आधुनिक तकनीक से विशेष सर्वे कार्य हेतु निर्धारित दर 14994/= रूपये प्रति वर्ग कि0मी0 (सभी कर सहित) के आधार पर परियोजना की कुल लागत की विवरणी निम्न है :–

क्र0	कार्यालय का नाम	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में)	14994/– रू0 प्रति वर्ग कि0मी0 की दर से कुल लागत	प्रथम चरण में भुगतान हेतु स्वीकृत राशि (कुल लागत का 10 प्रतिशत)	एकरारनामा की शर्त के अनुसार एजेंसी को प्रथम चरण में कुल भुगतेय राशि	एजेंसी को भुगतान हेतु चेक में अंकित राशि	चेक संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समाहर्त्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी बाँका	2989.95	44831310.00	4483131.00	4483131.00	4483131.00	899391 04.01.2016

अतएव एकरारनामा की कंडिका 36(1) के आलोक में 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान हेतु कुल राशि 4483131/= (चौवालीस लाख तेरासी हजार एक सौ इक्कतीस रूपये) रूपये का चेक वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अग्रिम भुगतान के पूर्व एकरारनामा की कंडिका – 34(1) की शर्त्त के आलोक में संबंधित एजेंसी से अग्रिम की राशि के समतुल्य (10 प्रतिशत) बैंक गारंटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. अग्रिम की राशि का सामंजन एजेंसी द्वारा हवाई फोटोग्राफी से निर्मित्त विशेष सर्वे मानचित्र के लिए समर्पित विपत्र के आलोक में वास्तविक रूप में देय राशि से दो समान किस्तों में (एकरारनामा की कंडिका – 36 के अनुसार) कर ली जाएगी।

4. भुगतान के पूर्व देयकर (आयकर/सेवाकर इत्यादि) की नियमानुसार कटौति सुनिश्चित की जाएगी।

5. यह चेक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 1184 दिनांक 03.07.2015 के आलोक में उपलब्ध कराया जा रहा है।

6. योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति तथा मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी को चेक की प्राप्ति के लिए प्राप्ति रशीद के साथ प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए। आपके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी निदेशालय से सम्पर्क कर प्राप्ति रशीद उपलब्ध कराते हुए चेक प्राप्त कर लेंगे।

अनुलग्नक :– एकरारनामा की छायाप्रति।
(दिनांक 04.01.2013 एवं 13.04.2015)

विश्वासभाजन
11/01/16

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक

ज्ञापांक :– 17 आवंटन (चेक से भुगतान)–142 / 2015–28(आवंटन) **पटना, दिनांक** :– 12/01/2016

प्रतिलिपि :– मेसर्स जी0आई0एस0 कंसोर्सियम, इंडिया प्रा0लि0, नोएडा, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं समाहर्त्ता / बंदोबस्त पदाधिकारी, बाँका को बैंक गारंटी उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

11/01/16

निदेशक

ज्ञापांक :– 17 आवंटन (चेक से भुगतान)–142 / 2015–28(आवंटन) **पटना, दिनांक** :– 12/01/2016

प्रतिलिपि :– बजट प्रशाखा – 5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/01/16

निदेशक